विविध बैंक प्र0सं0 81/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मण्डी एरिया, श्रीगंगानगर जरिए सहायक महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रासमे) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम 1–मै0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशनलाल सोनी निवासी गली न0 3 मेन रोड़, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर 2–श्री श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, निवासी दुर्गा विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर 3–सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, निवासी दुर्गा विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर 4–श्रीमति सोहनीदेवी पत्नि स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, निवासी दुर्गा विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर 5–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर निवासी दुर्गा विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर 6–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नि श्री सीता राम सोनी निवासी दुर्गा विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर 7–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी निवासी दुर्गा विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2017

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनके द्वारा बैंक का प्रार्थना पत्र के साथ धारा 13(2) नोटिस दिनांक 02.01.17 अप्रार्थी श्री सीता राम स्वयं पर तामील की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की आज पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै0 दुर्गा ज्वैलर्स 95 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, निवासी गली न0 3, मेन रोड़, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 4,75,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चार करोड़ पिचहतर लाख मात्र) ऋण दिनांक 27.11.2015 को स्वीकृत किया था जिसकी गारन्टी अप्रार्थी ऋणी मैं0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर के प्रो0 श्री सीताराम सोनी व जमानतदारो (बंधक कर्ताओं) कमशः 1–श्री श्याम सुन्दर सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 2–श्री सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 3–श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 रोशन लाल सोनी 4–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर सोनी 5–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी 6–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी द्वारा दी गई है और उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्री सीताराम सोनी ऋणी व उक्त गारन्टरस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित विभिन्न कुल 11 सम्पतियां प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 31.12.2016 को एनपीए हो गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 31.12.2016 तक ऋण राशि 4,94,81,418रूपये (अखरे चार करोड़ चौरानवें लाख ईक्यासी हजार चार सौ अठारह मात्र) (ब्याज 30.12.2016 तक) एवंम आगे का ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट

तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण ऋणी एवं गारन्टरस को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 02.01.2017 को जारी किये गये। बैंक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 02.01.2017 की तामील अप्रार्थी श्री सीता राम सोनी स्वयं पर करवा दी गई है। इसके बावजूद भी ऋणी/ गारन्टरस द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही किसी प्रकार का कोई आक्षेप या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी/गारन्टरस द्वारा प्रार्थी बैंक के पास प्रा0 पत्र में अंकित बन्धक रखी गयी विभिन्न 11 सम्पतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा मण्डी एरिया श्रीगंगानगर जरिये महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली तथा प्रार्थी बैंक द्वारा आज दिनांक 22.11.17 को प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय नोटिस धारा 13(2) का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 4,75,00,000/-- रूपये (अखरे रूपये चार करोड़ पिचहतर लाख मात्र) ऋण राशि के रूप में दिनांक 27.11.2015 को अप्रार्थी श्री मै0 दुर्गा ज्वैलर्स 95 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, निवासी गली न0 3, मेन रोड़, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी मैं0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर के प्रो0 श्री सीताराम सोनी व जमानतदारो (बंधक कर्ताओं) क्रमशः 1–श्री श्याम सुन्दर सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 2–श्री सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 3–श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 रोशन लाल सोनी 4–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर सोनी 5–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी 6–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी द्वारा अपनी विभिन्न 11 सम्पतियां प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी/गारन्टरस को बैंक द्वारा दिनांक 02.01.2017 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये। उक्त ऋणी/गारन्टरस द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही उनकी ओर से उक्त नोटिसों पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त हुआ है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैं0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर के प्रो0 श्री सीताराम सोनी व जमानतदारो (बंधक कर्ताओं) क्रमशः 1–श्री श्याम सुन्दर सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 2–श्री सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 3–श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 रोशन लाल सोनी 4–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर सोनी 5–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी 6–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें, पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण विवरण एवं रजिस्टर्ड ए.डी. रसीदों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी एवं गारन्टरस को उनके निवास पते पर नोटिस दिनांक 02.01.2017 उनको वितरण हो चुके है और आज प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दि0 22.11.17 के अनुसार भी अप्रार्थी **ऋणी श्री सीताराम सोनी को धारा 13 (2) के तहत जारी किये गये नोटिस दिनांक 02.01.17 की तामील स्वयं उस पर करवाई गई है और परिणाम स्वरूप श्री सीताराम सोनी ऋणी स्वयं के हस्ताक्षर भी नोटिस पर उपलब्ध है**। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी मैं0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्री सीताराम सोनी व **जमानतदारो** (बंधक कर्ताओं) क्रमशः 1–श्री श्याम सुन्दर सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 2–श्री सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 3–श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 रोशन लाल सोनी 4–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर सोनी 5–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी 6–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी मैं0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्री सीताराम सोनी व **जमानतदारो** (बंधक कर्ताओं) क्रमशः 1–श्री श्याम सुन्दर सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 2–श्री सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 3–श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 रोशन लाल सोनी 4–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर सोनी 5–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी 6–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी विभिन्न कुल 11 रिहायशी/व्यवसायिक सम्पतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः भारतीय स्टेट बैंक शाखा मण्डी एरिया श्रीगंगानगर जरिये महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी मैं0 दुर्गा ज्वेलर्स 95 जवाहर मार्केट श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्री सीताराम सोनी व **जमानतदारो** (बंधक कर्ताओं) क्रमशः 1–श्री श्याम सुन्दर सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 2–श्री सुभाष चंद सोनी पुत्र स्व0 रोशन लाल सोनी 3–श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 रोशन लाल सोनी 4–श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर सोनी 5–श्रीमति इन्दु देवी सोनी पत्नी श्री सीताराम सोनी 6–श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष चंद सोनी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी विभिन्न निम्न 11 रिहायशी/व्यवसायिक सम्पतियों का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

1–श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी की व्यवसायिक सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) दुकान न0 97, जवाहर मार्केट (माल गोदाम) श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 10' गुणा 18')

2– श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी की रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) मकान न0 54 दुर्गा विहार कोलोनी, मेन रोड, (किला न0 16 मु0न0 58 चक 2ई छोटी) श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 30' गुणा 40')

3– श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी की रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) मकान न0 59 दुर्गा विहार कोलोनी, गली न0 3 (किला न0 16 मु0न0 58 चक 2ई छोटी) श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 17' गुणा 40')

4– श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी की व्यवसायिक सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) दुकान न0 95 (उतरी भाग) जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 5' गुणा 18')

5– श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, श्री श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल सोनी एवं श्री सुभाष पुत्र स्व0 श्री रोशन सोनी की व्यवसायिक सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) दुकान न0 98 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 10' गुणा 18')

6– श्री सीताराम सोनी पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, श्री श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल सोनी एवं श्री सुभाष चंद पुत्र स्व0 श्री रोशन सोनी की रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) गली न0 03, मेन रोड़, दुर्गा विहार कोलोनी (किला न0 16 मु0 न0 58 चक 2ई छोटी) श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 32'6" गुणा 40')

7– श्री सीताराम पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी, श्री श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल सोनी एवं श्री सुभाष पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सोनी की रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) मकान न0 51, गली न0 03, मेन रोड़, दुर्गा विहार कोलोनी (किला न0 25 मु0 न0 58 चक 2ई छोटी) श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 13" गुणा 35')

8– श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 श्री रोशन लाल सोनी की रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) मकान न0 57 (पूर्वी भाग) गली न0 03, दुर्गा विहार कोलोनी (किला न0 16 मु0 न0 58 चक 2ई छोटी) श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 15' गुणा 40')

9– श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 श्री रोशन लाल सोनी की व्यवसायिक सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) दुकान न0 96, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 05' गुणा 18')

10– श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व0 श्री रोशन लाल सोनी, श्रीमति निर्मलादेवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर, श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष सोनी एवं श्रीमति इन्दू सोनी पत्नि श्री सीताराम सोनी की व्यवसायिक सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) दुकान न0 43, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 10' गुणा 20')

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

11— श्रीमति निर्मलादेवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर, श्रीमति नीरू सोनी पत्नि श्री सुभाष सोनी, श्रीमति इन्दू सोनी पत्नि श्री सीताराम सोनी की व्यवसायिक सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) दुकान न0 94, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (राज0) (क्षेत्रफल 10' गुणा 12')

आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त विभिन्न 11 रिहायशी/व्यवसायिक सम्पतियों का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर